196

आयोजनागत

संख्याः /XI/2011- 56(69)2003

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 15 सितम्बर 2011

विषयः– राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 855/5–लेखा/रा0बा0यो0 /142/रा.बा.यो. 2011–12 दिनॉक 22.6.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश सख्या संख्याः 539/XI/2011- 56 (69) 2003 दिनांक 21.3.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू020. 86 (रूपये बीस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर निम्नॉकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– योजना के अन्तर्गत निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि, योजना हेतु केन्द्रॉश की धनराशि की स्वीकृति की पुष्टि होने एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड से ,राज्य के लेखे मे प्रश्नगत धनराशि को केडिट किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात ही संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर रखी जायेगी ।

2– धनराशि का व्यय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाय। धनराशि का व्ययावर्तन किसी भी दशा नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य में स्थापित किये जाने वाले बायोगैस के वार्षिक जनपदवार लक्ष्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन उपायुक्त, कार्यकम द्वारा तथा व्यय योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

4– योजना के अन्तर्गत धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/ प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले नियमानुसार ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए सूचना, स्वीकृतियों की प्रति सहित निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भारत सरकार के स्वीकृति आदेश की प्रति एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा प्रश्नगत

धनराशि राज्य के लेखे में जमा कर ली गई है, से संबंधित प्रमाण पत्र सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

6– प्रश्नगत धनराशि का उपभोग समयान्तर्गत करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लाभान्वित हुए लाभार्थियों की सूची भारत सरकार/शासन को उपलब्ध करायी जाय और गुणवत्ता/विशिष्टियों तथा मानकानुसार ही बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जानी सुनिश्चित की जाय।

7– निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग दिनॉक 31.03.2012 तक करते हुए अवशेष अप्रयुक्त धनराशि को समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– उपरोक्त प्रस्तर–01 से 07 तक के दिशा निर्देशों में विचलन होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–19 के अधीन लेखा शीर्षक 2515– अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–102– सामुदायिक विकास– आयोजनागत– 01– केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0101–राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना(100%के0स0) –50 सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/ (P)/XXVII(1) / 2011 दिनॉक 31 मार्च 2011 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव

1434
संख्याः (1) /XI/2010 56(69)2003 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– नियोजन विभाग/वित्त विभाग, समाज कल्याण एवं नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
12– समस्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
13– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव ।